भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3991
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

पीएमयूवाई के अंतर्गत जलपाईगुड़ी में एलपीजी कनेक्शन

†3991. डॉ. जयंत कुमार राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से जलपाईगुड़ी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत कितने परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानत राशि के बिना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रयोजन से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का आरम्भ किया गया था। दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पीएमयूवाई के अन्तर्गत 3.3 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन हैं, जिनमें से अप्रैल 2019 से नवंबर 2024 के बीच 0.84 लाख कनेक्शन निर्गत किए गए।

पीएमयूवाई के शुभारम्भ से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार सिलेंडर के लिए जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टॉलेशन शुल्क के निमित्त प्रत्येक पीएमयूवाई कनेक्शन पर 1600 रुपए तक का व्यय वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से इस व्यय को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपए प्रति कनेक्शन और 5 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये प्रति कनेक्शन कर दिया गया है।

देश भर में एलपीजी तक पहुँच को समुन्नत करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ पीएमयूवाई को प्रोत्साहित करने के निमित्त अभियान चलाना, कनेक्शनों का नामांकन और वितरित करने के निमित्त मेला/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंगों, रेडियो जिंगलों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैनों आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना, अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त आधार नामांकन और बैंक खाता खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों की सुविधा प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, www.pmuy.gov.in पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकटतम एलपीजी वितरक, जन सहायता केन्द्र (सीएससी) इत्यादि, 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प और प्रवासी परिवारों के लिए निवास प्रमाण और राशन कार्ड के बजाय स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अप्रैल से दिसंबर 2020 तक पीएमयूवाई लाभार्थियों को निःशुल्क 3 रिफिल आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ओएमसीज लगातार नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शुरू कर रही हैं।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने तथा उनके द्वारा एलपीजी का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने के निमित्त, सरकार ने मई, 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता की शुरूआत की। इसके अलावा, अक्टूबर, 2023 में, सरकार ने सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर कर दिया। 300 रुपए प्रति सिलेण्डर (तथा 5 किलोग्राम सिलेण्डर के लिए समानुपातिक यथानिर्धारित) की निर्धारित राजसहायता के साथ, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेण्डर का मौजूदा प्रभावी मूल्य 503 रुपए (दिल्ली में) है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के संदर्भ में) वर्ष 2019-20 में 3.01 रिफिल प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.95 रिफिल और नवंबर, 24 की स्थिति के अनुसार खपत के आधार पर 4.34 रिफिल प्रतिवर्ष हो गई है।

****